न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 44 / 2018
दायर दिनांक : 29 / 08 / 2018
निर्णय दिनांक : 30.09.2022

उनवान

1. निर्मल मीणा मुतबन्ना वेणीराम मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर
2. भंवरलाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
3. हिरालाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
   3/1 कमलकुमार पिता हीरालाल मीणा निवासी गंगरामजी का खेड़ा तहसील कपासन
   3/2 शम्भू पिता हीरालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
   3/3 लक्ष्मीदेवी पुत्री हीरालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन हाल पत्नी लक्ष्मीलाल निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर
   3/4 सीतादेवी पुत्री हीरालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन हाल पत्नी गणपत निवासी नया दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. श्यामलाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
5. सुशीला पिता मांगीलाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
6. सोसर पिता मांगीलाल मीणा निवासी गंगरामजी का खेड़ा तहसील कपासन हाल मुकाम पत्नी मोहन मीणा ग्राम विशनपुरा तहसील मावली जिला उदयपुर
7. किशनलाल पिता मांगीलाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
8. जगदीश पिता जमनालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
9. देवीलाल पिता जमनालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
10. रमेश पिता जमनालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन
11. जसोदा पिता जमनालाल मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा तहसील कपासन हाल मुकाम पत्नी लालाराम मीणा गांव चामटीखेड़ा तहसील चित्तौड़गढ़
12. मोहन पिता हदु मीणा निवासी गंगरामजी का खेड़ा तहसील कपासन

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार घोषणा

उपस्थिति : 1. देवीलाल जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

वादी ने वादपत्र मे निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 12 तक की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम बूल पटवार हल्का बूल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरुनी में स्थित है जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 12 तक के संयुक्त कब्जे काश्त की है, जिसके साबिक आराजी नं. 249 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा व आ.सं. 252 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल आ.सं. 329 रकबा 1.07 है., आ.सं. 331 रकबा 0.32 है. व आ.सं. 332 रकबा 0.70 है. स्थित है, सिबूत में

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

हाल जमाबंदी, साबिक जमाबंदी व मिलान शीट की नकलें वाद पत्र के साथ पेश हैं। मांगीलाल, हाटु, जमनालाल व वेणीराम पिता वरदीचन्द मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा के नाम पर संयुक्त खातेदारी में उक्त वाद वर्णित आराजियात साबिक जमाबंदी में दर्ज थी लेकिन वक्त सेटलमेंट के कर्मचारियों की गलती एवं भूल से वेणीराम का नाम वर्तमान जमाबंदी से हटा दिया गया जिसका कि उनको ऐस करने का कोई अधिकार नहीं था उक्त गलती की जानकारी मुझ वादी को वेणीराम जी मृत्यु होने के बाद जमाबंदी की नकलें प्राप्त करने से हुई है। उक्त गलती के बारे में मैने प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 25.07.2018 को कहा तो उन्होने कहा कि गलती सेटलमेंट कर्मचारियों की है, इसलिए सहायक कलक्टर के यहां दावा करना पडेगा। वादी के गोद पिता वेणीराम का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से हटा दिये जाने से वादी अपने हिस्से कब्जे की आराजियात पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान या अन्य कोई सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहा, जिसकी काफी क्षति हो रही है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसलिए इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिकी से वादी के गोद पिता वेणीराम का नाम साबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार दुरूस्त करा एवं वेणीरामजी की मृत्यु होने से वैध वारिस गोदपुत्र वादी निर्मल मीणा के नाम हाल जमाबंदी में पुनः दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात वादी के कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन की अपूर्णीण क्षति भी वादी को है। लेकिन वक्त सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजी से वादी के गोद पिता वेणीराम का नाम हटा दिया गया जिनको ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए वादी के नाम खातेदारी घोषणा किया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त भूमि पर वादी गोदपुत्र की हैसियत से काबिज हो कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होने से वादी को कब्जाशुदा आराजियात से नहीं हटावें एवं वादी के कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करें और कब्जे से बेदखल, बह बेचान, बक्षीस, वसीयत नहीं करे इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 1 भूमिधारी राजकीय सेवक होकर लोक सेवक है इनके विरूद्ध दाद चाही गई है व वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिसके लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना विधिक है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद स्वीकृति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। सह खातेदार मांगीलाल, जमनालाल, वेणीराम पिता वरदीचन्द मीणा फौत हो चुके हैं इनके वारिसान के नाम इन्तकाल नहीं खुला है, जिससे प्रतिवादी सं. 2 से लगायत 11 तक संयोजित किये गये हैं तथा प्रतिवादी सं. 12 सह खातेदार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। वादी द्वारा दिनांक 25.07.2018 को वर्तमान जमाबंदी की नकल प्राप्त करने से जानकारी में आया कि वादी के गोदपिता वेणीराम का नाम सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से सेटलमेंट के समय से हटा दिया गया साबिक जमाबंदी व वर्तमान, जमाबंदी की नकले प्राप्त करने से वाद कारण पैरा हुआ, जो निरन्तर जारी है। पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिकी इस आशय की फरमाई जावे कि साबिक जमाबंदी आ.सं. 249 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा व आ.सं. 252 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल आ.सं. 329 रकबा 1.07 है., आ.सं. 331 रकबा 0.32 है. व आ.सं. 332 रकबा 0.70 हैक्टे. है, जिसमें वादी के गोदपिता वेणीराम का नाम दर्ज था मगर सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती से वर्तमान जमाबंदी में वादी के गोदपिता वेणीराम पिता वरदीचन्द मीणा अंकित किये जाने एवं वेणीराम की मृत्यु हो जाने से वारिस उत्तराधिकारी वादी निर्मल मीणा के नाम खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिकी फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तबल किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल जाट एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री शब्बीर मोहम्मद ने अधिकार पत्र पेश किया। पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा ग्राम बूल में स्थित हाल खातेदारी कृषि भूमि आ.सं. 329 रकबा 1.07 है., आ.सं. 33[illegible]2 है., आ.सं. 332 रकबा 0.70 है. किता 3 रकबा 2.09 है. जो साबिक रिकार्ड में श्री मांगीलाल, हा[illegible] वेणीराम पिता वरदीचन्द मीणा के नाम होना वाद पत्र में बताया गया है तथा वक्त [illegible] भूमि सभी शेष खातेदारान के नाम करना बताया है जबकि वादी अपने [illegible] रहा है तथा वेणीराम के हिस्से की भूमि अपने नाम कराना चाहता है तथा पंजीबद्ध गोदपत्र भी वाद में [illegible]न है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रकरण में राज्य पक्ष प्रभावित नहीं होने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा वादपत्र में चाही गई दाद स्वयं सिद्ध करावें। प्रतिवादी संख्या 2 से 12 उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:50:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। इस प्रकार वाद पत्र व पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई :

1. आया वादपत्र की कॉल संख्या 1 में वर्णित आराजियात वादी के संयुक्त कब्जे काश्त है ?

जिम्मेवादी

2. आया वादपत्र की कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात साबिक जमाबंदी में वादी के गोद पिता वेणीराम पिता वरदीचन्द के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट के कर्मचारियों की गलती व भूल से वेणीराम का नाम वर्तमान जमाबंदी से हटा दिया जो रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ?

जिम्मेवादी

3. आया वाद वर्णित आराजियात में वादी को प्रतिवादीगण कब्जे से बेदखल नहीं करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें ?

जिम्मेवादी

4. दादरसी

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 श्री निर्मल मुतबन्ना वेणीराम मीणा निवासी गंगाराम जी का खेड़ा का शपथ पत्र पेश किया। गवाह ने अपने बयान/शपथ पत्र में बताया कि वादी के द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद पेश कर रखा है। वादपत्र के साथ गोदनामा, साबिक जमाबंदी, हाल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, हाल नक्शा खसरा गिरदावरी पेश किये हैं, जो कि साबिक जमाबंदी सम्वत् 2029–32 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2049–52 प्रदर्श, 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3 हैं, जमाबंदी सम्वत् 2050–51 प्रदर्श 4, हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, हाल जमाबंदी प्रदर्श 6, साबिक जमाबंदी सम्वत 2025–28 प्रदर्श 7, जमाबंदी आधार वर्ष प्रदर्श 8, साबिक जमाबंदी सम्वत 2017–20 प्रदर्श 9, रजिस्टर्ड गोदनामा प्रदर्श 10 हैं, जिस पर ए से बी वेणीराम के हस्ताक्षर हैं, सी से डी वादी निर्मल के हस्ताक्षर हैं, ई से एफ गवाह मोहनलाल के हस्ताक्षर हैं, जी से एच गवाह भैरूलाल के हस्ताक्षर, आई से र वादी के पिता किशनलाल के हस्ताक्षर, के से एल वादी की माता प्रेम के सहमति के हस्ताक्षर हैं तथा श्री वेणीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादी ने अपने वादपत्र की पुष्टि में गोदनामा, साबिक जमाबंदी, हाल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, हाल नक्शा खसरा गिरदावरी पेश कर दाद प्रदान की जाने का तथा पैरोकार सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब अनुसार ही निवेदन किया। संलग्न जमाबंदी सम्वत 2029–32 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त काश्त की ग्राम बूल में साबिक आ.सं. 249 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, आ.सं. 251 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी, जिसके संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आ.सं. 329 रकबा 1.07 है., आ.सं. 331 रकबा 0.32 है. व आ.सं. 332 रकबा 0.70 है. बने। संलग्न गोदनामा अनुसार श्री बेणा उर्फ वेणीराम पिता वरदा मीणा निवासी गंगारामजी का खेड़ा के द्वारा वादी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा किया है, जो दिनांक 28.03.2013 को पंजीकृत है। अतः संलग्न दस्तावेज एवं वाद वादी की स्वीकारोक्ति अनुसार तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :

1. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित कराई जानी है। वादी की ओर से प्रस्तुत साबिक जमाबंदी सम्वत [illegible]–74 अनुसार वादग्रस्त आराजियात वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त है [illegible]वेजों अनुसार तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित कराई जानी है। संलग्न राजस्व रिकार्ड अनुसार साबिक जमाबंदी में वादी के गोद पिता वेणीराम पिता वरदीचन्द के नाम संयुक्त खातेदारी में भूमि दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती व भूल से वेणीराम का नाम वर्तमान जमाबंदी में से हटा दिया, प्रमाणित होने से तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित कराई जानी है। संलग्न राजस्व रिकार्ड अनुसार तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. उक्तानुसार तनकी संख्या 1 से 3 राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाने से वाद स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बूल की हाल आराजी संख्या 369 रकबा 1.07 है., आ.सं. 331 रकबा 0.32 है., आ.सं. 332 रकबा 0.70 है. किता 3 रकबा 2.09 हैक्टेयर भूमि में से 1/4 हिस्से पर वादी को गोदपुत्र की हैसियत से खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नसार ग्राम बूल की उक्त आ.सं. 369 रकबा 1.07 है., आ.सं. 331 रकबा 0.32 है. व आ.सं. 332 रकबा 0.70 है. किता 3 रकबा 2.09 है. भूमि में से श्री भंवरलाल, किशनलाल, श्यामलाल, सोसरबाई, सुशीला पिता मांगीलाल, कमलकुमार, शम्भू, सीतादेवी, लक्ष्मीदेवी पिता हीरालाल 1/4, श्री जगदीश, देवीलाल, रमेश, जशोदा पिता जमनालाल 1/4, श्री मोहनलाल पिता हटु 1/4, श्री निर्मल गोदपुत्र वेणीराम 1/4 सा. गंगारामजी का खेड़ा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। उक्त आशय की डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति निर्णय दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.11.23 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested